संख्या-24/2015/966/क0नि0प्र0/26-3-2015-14(37)/2014

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 14 अगस्त, 2015**
समाज कल्याण विभाग

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1437/क0नि0प्र0/26-3-2014-14(37)/2014 दिनांक 18 दिसम्बर,2014 के क्रम में आपके पत्र सं0-456/स0क0/विकास/23/अनुसूचित जाति सब प्लान/2015-16, दिनांक 07 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड-मिठवल के ग्राम पुरैना, महुवा एवं बैदौली, विकास खण्ड शेहरतगढ़ के ग्राम सीतारामपुर, विकास खण्ड बॉसी के ग्राम मेचुका एवं ग्राम जमालजोत, विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम अगया एवं ग्राम सेमरी तथा विकास खण्ड जोगिया के ग्राम भटमला के अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष रू0 4,15,49,000/- (रू0 चार करोड़ पन्द्रह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- सिद्धार्थनगर

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
1	मिठवल	पुरैना	पिच रोड/सी.सी.रोड/ के.सी.ड्रेन निर्माण	99.37	49.685	49.685
2	शेहरतगढ़	सीतारामपुर	पिच रोड/सी.सी.रोड/ के.सी.ड्रेन निर्माण	98.25	49.125	49.125
3	मिठवल	महुवा	इन्टरलाकिंग नाली निर्माण एवं आउटफाल ड्रेन निर्माण	97.38	48.69	24.47 (द्वितीय किस्त)
4	बॉसी	मेचुका	पिच एवं इन्टर लाकिग निर्माण	99.77	49.885	49.885
5	मिठवल	बैदोली	पिच रोड/सी.सी.रोड/ के.सी.ड्रेन निर्माण	99.70	49.85	49.85
6	बॉसी	जमालजोत	पिच रोड/सी.सी.रोड/ के.सी.ड्रेन निर्माण	99.18	49.59	49.59
7	डुमरियागंज	अगया	पिच रोड/सी.सी.रोड/ के.सी.ड्रेन निर्माण	91.45	45.725	45.725
8	डुमरियागंज	सेमरी	पिच एवं इन्टर लाकिंग निर्माण	94.64	47.32	47.32
9	जोगिया	भटमला	सी.सी.रोड/के.सी.ड्रेन निर्माण	99.68	49.84	49.84
			योग-	879.42	439.71	415.49

(रू0 चार करोड़ पन्द्रह लाख उनचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि यथाशीघ्र जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सिद्धार्थनगर को योजना के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु आवंटित की जायेगी और इनके द्वारा औपचारिकता पूर्ण कराकर धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि जनपद के लोक निर्माण विभाग के जनपदीय वरिष्ठ अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

दीनानाथ
अनु सचिव

पृ.संख्या- 24/2015/966(1)/क0नि0प्र0/26-3-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सिद्धार्थनगर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सिद्धार्थनगर।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in